न्यायालय सिविल जज (जूनियर डिवीजन)/जे.एम जलेसर,एटा।
एफ.आर.वाद संख्या–125/2016

यशपाल सिंह बनाम सुशील कुमार

धारा–147,506
भा0द0सं0
थाना–अवागढ
अ0सं0–188/2016

<u>9.12.2017</u>

पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। वादी अनुपस्थित है। वादी मुकदमा को नोटिस प्रेषित किया गया नोटिस पर यह अंकित किया गया है कि वादी मुकदमा गॉव में निवास करता नही पाया गया तथा आसपास के लोगों की जानकारी में नही है। चूॅकि वादी की ओर से अन्तिम रिपोर्ट के विरूद्ध आपत्ति प्रस्तुत नही की गयी है और न ही कोई प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि वादी को अन्तिम रिपोर्ट के विरूद्ध कोई आपत्ति नही है।

चूॅकि वादी मुकदमा को अन्तिम रिपोर्ट पर कोई आपत्ति नही है ऐसी स्थिति में अन्तिम रिपोर्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

विवेचक थाना अवागढ द्वारा प्रस्तुत अन्तिम रिपोर्ट संख्या–43/2016 स्वीकार की जाती है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार संचित की जाये।

सिविल जज ।जू0डि0।/जे.एम
जलेसर,एटा।